भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 31**

22.11.2011 को उत्तर के लिए

**''पूर्वोत्तर क्षेत्र में संकटापन्न प्रजातियों की तस्करी''**

**31. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो प्रमुख विमान कंपनियों को जनवरी, 2011 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में संकटापन्न प्रजातियों की तस्करी में संलिप्त पाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे अभिकरणों तथा ऐसी अन्य अपराध-जासूसी इकाइयों द्वारा गहन जांच की गई थी;

(ग) क्या विमान कंपनियों, सुरक्षा बलों या अन्य संगठनों ने संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की है;

(घ) क्या विदेशी अभिकरणों की भूमिका की भी जांच की गई; और

(ड.) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, जनवरी, 2011 माह के दौरान ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है ।

(ख),(ग)और(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ड.) एअर लाईन्स द्वारा वन्यजीव उत्पादों की तस्करी की जांच करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं :

1. देश में विमान पत्तनों में विधि लागू करने के लिए उत्तरदायी अभिकरणों के कार्मिकों को वन्यजीव के भागों/वस्तुओं की पहचान करने/खोजबीन करने और गिरफ्तारी अभियानों के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षित और/अथवा तकनीकी रूप से सहायित किए जाते हैं ।
2. इंटर-एजेंसी समन्वयन बैठक नियमित रूप से प्रवर्त्तन प्रयासों के समन्वयन और सूचना की शेयरिंग को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं ।
3. डाक पार्सलों के माध्यम से वन्यजीव वस्तुओं की तस्करी के बारे में डाक प्राधिकरण को सूचित किया गया है और उनसे इनका बचाव करने के लिए समुचित रोक लगाने का अनुरोध किया गया है ।
4. एअर लाईनों को निषिद्ध वन्यजीव को ले जाने के लिए तस्करों द्वारा उनके संभावी दुरूपयोग को सुग्राही बनाया जाता है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*